

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर (म.प्र.)
(कलेक्ट्रेट परिसर कक्ष क्रमांक 78)

निविदा सूचना

क्रमांक / 1624 / निर्वा. / 2018

जबलपुर, दिनांक 27/09/2018

विधानसभा निर्वाचन 2018 के लिये निर्वाचन कार्य हेतु एल.सी.डी./एल.ई.डी. टी.व्ही. (वीडियो रिकार्डिंग सहित) किराये आधार पर लगाये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सीलबंद निविदा दिनांक 04/10/2018 को अपरान्ह 02:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा वेबसाइट www.jabalpur.nic.in से डाऊन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड करने पर निविदा प्रपत्र की कीमत 2000/- रुपये (डी.डी. के रूप में कलेक्टर जबलपुर के नाम देय होगा) भुगतान करना आवश्यक होगा। तथा निविदा दिनांक 04/10/2018 को सांय 04:00 बजे कक्ष क्रमांक 57 कलेक्टर कार्यालय, जबलपुर में गठित समिति के समक्ष खोली जावेगी।

एल.सी.डी. टी.व्ही. का मापदंड

1. एल.सी.डी./एल.ई.डी. टी.व्ही. कलर एवं 21 इंच से कम की नहीं होनी चाहिए।
2. एल.सी.डी./एल.ई.डी. टी.व्ही. के साथ कम से कम 16 चैनल की डी.व्ही.आर. होनी आवश्यक है।
3. एल.सी.डी./एल.ई.डी. टी.व्ही. का मॉडल 2016 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।
4. निविदाकार को एल.सी.डी./एल.ई.डी. टी.व्ही. का इंस्टालेशन स्वयं के व्यय पर करना होगा।
5. निविदाकार को कम से कम आवश्यकतानुसार 10 एल.सी.डी. उपलब्ध करानी है, यह संख्या घट बढ़ सकती है।
6. एल.सी.डी./एल.ई.डी. टी.व्ही. की रिकार्डिंग निविदाकार को आवश्यकतानुसार तत्काल उपलब्ध करानी होगी। जिसका व्यय दर में सम्मिलित होगा।

एल.सी.डी./एल.ई.डी. टी.व्ही. निविदा की सामान्य नियम एवं शर्तें

1. निविदा सीलबंद लिफाफा जिस पर "एल.सी.डी./एल.ई.डी. टी.व्ही. (वीडियो रिकार्डिंग सहित) " के लिये लिखा होना आवश्यक है।
2. निविदाकार स्थानीय स्तर पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।
3. निविदा में किराये पर दी जाने वाली सामग्री में समस्त टैक्स आदि सम्मिलित रहेगा। सामग्री जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा मतगणना स्थल जबलपुर तक पहुँचाने एवं वापिस ले जाने के लिये भाड़ा सहित होगी। पृथक से अन्य कोई भाड़ा नहीं दिया जावेगा। सामग्री के किराये की दर प्रति नग, प्रतिदिन पूर्ण रूपेण खुलासा/स्पष्ट रूप से दर्शाई जावेगी।
4. निविदा के साथ अमानत राशि रू. 20,000/- (अकन बीस हजार रुपये मात्र) बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर जबलपुर के पक्ष में जमा करें। नियत समय से पूर्व निविदा प्राप्त करना होगा। सफल निविदाकार की जमानत राशि को छोड़कर शेष निविदाकारों की राशि निविदा स्वीकृत होने के पन्द्रह दिन के अंदर वापिस की जावेगी।
5. निर्वाचन कार्य के लिये लगने वाली आवश्यक सामग्री की सूची भी संलग्न हैं। निविदाकार को अपने पास उपलब्ध सामग्री का (स्टॉक) भी उल्लेख करना अनिवार्य होगा। क्योंकि आवश्यकतानुसार सामग्री की मात्रा घट बढ़ भी सकती है। सामग्री की देखभाल की जबावदारी निविदाकार की स्वयं की रहेगी। निर्वाचन कार्यालय इसका जिम्मेदार नहीं रहेगा। किसी प्रकार का व्यवधान होने पर निविदाकार को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करना होगा।
6. निविदाकार का चयन अनुभव उसके द्वारा प्रस्तुत सामग्री स्टाक एवं गुणवत्ता के आधार पर किया जाएगा।

7. यह निविदा स्वीकृत होने की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि तक प्रभावशील रहेगी तथा एक वर्ष के भीतर होने वाले अन्य सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन में भी यह दर मान्य होगी।
8. सामग्री की आवश्यकता अनुमानित है। निविदाकार को सामग्री की आवश्यकतानुसार पूर्ति करना होगी। आवश्यकतानुसार कम सामग्री उपयोग होने की दशा में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं किया जावेगा।
9. सफल निविदाकार को 500/- रुपये के स्टाम्प पर एक लिखित इकरारनामा देना होगा जिसका नमूना कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इस इकरारनामा के अंतर्गत सफल निविदाकार के असफल होने पर अन्य व्यवस्था करने पर हुये अतिरिक्त व्यय की वसूली निविदाकार की अमानत राशि या राजस्व वसूली के रूप में की जा सकेगी।
10. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) जबलपुर को किसी भी निविदा को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का सर्व अधिकार रहेगा। इसके लिये किसी भी निविदाकार को कोई कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
11. निविदा प्रस्तुत करने पर यह माना जावेगा, कि निविदाकार को उपरोक्त शर्तें स्वीकार है।
12. किसी भी तरह के विवाद हेतु अंतिम निर्णय जिला निर्वाचन अधिकारी का होगा।
13. भारत शासन/म.प्र. शासन द्वारा निर्धारित जीएसटी आपके द्वारा दिये गये दर में सम्मिलित नहीं रहेगा, निर्धारित दर के अनुसार जीएसटी की राशि अलग से दर्शानी होगी तथा उपरोक्त टैक्सों का अग्रिम भुगतान करने के उपरांत ही आपके देयकों के भुगतान पर विचार किया जावेगा।
14. निविदाकार के फर्म/संस्था के नाम पेन होना आवश्यक है।
15. निविदाकार को कम से कम एक चुनाव में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए या इस प्रकार के बड़े काम का अनुभव होना आवश्यक है। इसके लिए अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
16. किसी भी कार्य के लिए केवल एक निविदा प्राप्त होने की दशा में निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर या पूर्व निर्वाचन में स्वीकृत दर से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 प्रतिशत से अधिक दर होने की दशा में पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
17. निविदा स्वीकार अथवा निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार जिला निर्वाचन अधिकारी को होगा।
18. निविदा स्वीकृत होने पर कार्यदेश के अनुसार कार्य न करने पर सम्बंधित संस्था पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी जिसकी जवाबदारी निविदाकार की होगी।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 27/09/2018

पृ. क्रं. / 1624 / निर्वा. / 2014
प्रतिलिपि :-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कमिश्नर जबलपुर, जबलपुर संभाग, जबलपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप जिला निर्वाचन, अधिकारी, जबलपुर को सूचनार्थ।
4. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी जबलपुर की ओर जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. जिला जनसंपर्क अधिकारी जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं अधिकतम 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
4. मेसर्स की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जबलपुर

- आवेदन पत्र -

प्रति,

जिला निर्वाचन अधिकारी
जबलपुर (म.प्र.)

विषय :- एल.सी.डी./एल.ई.डी. टी.व्ही. (वीडियो रिकॉर्डिंग सहित) हेतु दि. / /2018 को समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा अनुसार प्रस्तुत सामग्री का दर।

मैं पिता का नाम उम्र

..... फर्म का नाम एवं पता जी.एस.टी. क्रमांक आयकर हेतु

पेन नं. है। इस आवेदन के साथ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जबलपुर के

पक्ष में बैंकर्स चैक/डी.डी. क्रं./नगद दिनांक

. बैंक (जारी बैंक का नाम) प्रस्तुत कर रहा हूँ।

इस पत्र के साथ संलग्न सूची अनुसार समस्त सामग्रियों के नाम के सामने प्रपत्र अनुसार दर्ज है तथा पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर एवं सील

भाग - 2
निविदादाता के व्यवसाय का ब्यौरा
(निविदादाता द्वारा भरा जावेगा)

1. निविदाकार का नाम और पता —
.....
.....
 2. निविदाकार/संस्था/सोसायटी —
(संगठन/साझेदारों की संख्या)
 3. अनुभव (प्रमाण-पत्र संलग्न करें।) —
 4. पैन नं. (फोटो प्रति संलग्न करें।) —
 5. जी.एस.टी(फोटो प्रति संलग्न करें।) —
- धरोहर राशि का विवरण बैंक का नाम—
- बैंक ड्राफ्ट/बैंक चेकर्स का नं./नगद —
- बैंक का नाम —
- दिनांक —
- राशि —

निविदाकार के हस्ताक्षर

वित्तीय प्रस्ताव – अ

(एल.सी.डी./एल.ई.डी. टी.व्ही हेतु)

क्रं.	विवरण	दर		
		(प्रतिनग, प्रतिदिन)	(प्रतिनग, प्रतिसप्ताह)	(प्रतिनग, प्रतिमाह)
1.	एल.सी.डी. टी.व्ही. (वीडियो रिकार्डिंग सहित) (21 इंच)			
2	एल.ई.डी. टी.व्ही. (वीडियो रिकार्डिंग सहित) (21 इंच)			
3.	डी.व्ही.आर. (टीव्ही के लिए)			
5.	हार्ड डिस्क (500 जी.बी. एवं 01 टी.बी.)			
6.	रिकार्डिंग सी.डी.			
7.	रिकार्डिंग डी.व्ही.डी.			

नोट : निविदाकार को टी.व्ही. रिकार्डिंग के 10 DVD रिकार्ड कर निःशुल्क देना होगा, आवश्यकतानुसार 10 से अधिक रिकार्डिंग की स्थिति में अलग से निर्धारित दर के अनुसार देय होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

सामग्री उपलब्धता की जानकारी

क्रं.	सामग्री का नाम	निविदाकार के पास उपलब्ध सामग्री की संख्या
1.	एल.सी.डी. / एल.ई.डी. टी.व्ही.	
2.	अन्य सामग्री	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील